2015/0192 3-5-15

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 30/2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. बागीया उर्फ बगीया पुत्र गणेशा		1. तलाराम पुत्र धरमाजी
2. पूजा उर्फ सुजा पुत्र गणेशा जातिगण माली निवासीगण गोल (उम्मेदाबाद) तहसील व जिला जालोर		2. भबूताराम पुत्र धरमाजी
3. मनोज कुमार एम. भंसाली पुत्र मीठालाल जाति जैन		3. तलसाराम पुत्र धरमाजी
4. रीनादेवी पत्नी नेमीचन्द जाति जैर निवासीगण गोल (उम्मेदाबाद) तहसील व जिला जालोर		4. चुन्नाराम पुत्र धरमाजी
		5. प्रेमाराम पुत्र धरमाजी
		6. पदमाराम पुत्र धरमाजी
		7. नथा पुत्र गणेशा के का0मु0
		7.1 देवाराम पुत्र नथाराम
		7.2 पारसाराम पुत्र नथाराम
		7.3 श्रीमती रकमो पत्नी नथाराम (Symbolic Party)
		7.4 सोरम पुत्री नथाराम
		7.5 काली पुत्री नथाराम
		8. पोला पुत्र गणेशा
		9. जेसा पुत्र गणेशा जातिगण माली निवासीगण गोल (उम्मेदाबाद) तहसील व जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री चैनाराम पटेल सिकन्दर अली सैय्यद, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 5 व 6

श्री सिकन्दर अली सैय्यद, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4

श्री हनुमानदास, विद्वान अभिभाषक शेष रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 15/2/19

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 18/2009 तलाराम वगैरा बनाम नाथा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned by CamScanner

दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी भूमि है, जिसमें अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 का 2/3 हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी हेतु ही नियत थी, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट की सहमति के बिना ही प्रकरण को राजस्व लोक अदालत के तहत विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए निर्णीत किया है, जो विधि विरूद्ध है। विधि अनुसार लोक अदालत के तहत पक्षकारान् की सहमति से ही किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जा सकता है। पक्षकारान् सहमत नहीं होने की दशा में प्रकरण का बाद ट्रायल ही निर्णय किया जा सकता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान राजस्व लोक अदालत में उपस्थित ही नहीं थे, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण का विधि सम्मत निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी भूमि है, जिसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा बिना विधिक विभाजन के बेचान हस्तान्तरण करने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत किया गया तथा उसका नोटिस भी जारी किया गया। दोनों ही पक्षकार लोक अदालत के दिवस कैम्प में उपस्थित थे। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित है कि भूमि मौके पर विभाजित है तथा खातेदार पृथक पृथक रूप से काबिज काश्त है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के आदेश पारित किए है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी भूमि है, जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत किया गया, उस समय प्रकरण प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी में नियत था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अदालत में नियत करने हेतु जो नोटिस जारी किया गया, वह समग्र रूप से अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स को एक ही नोटिस जारी किया गया है, जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को पृथक पृथक नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0डी0 1990 पेज 351 नाथू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित किया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है – "Separate notices should have been served on each trespasser-- Where request is made for actual measurement of land alleged to have been trespassed upon, land should be measured before drawing conclusion whether trespass has occurred or not" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण–रूपेण चस्पा होता है। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् की राजस्व लोक अदालत में उपस्थिति अंकित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जबकि आदेशिका में समस्त पक्षकारान् के हस्ताक्षर ही नहीं है, जो पक्षकारान की राजस्व लोक अदालत में उपस्थिति साबित करता हो। हस्तगत निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned by CamScanner

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 18/2009 तलाराम वगैरा बनाम नाथा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के आधार पर जांच कर पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विनिश्चिय कर विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/2/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर

Scanned by CamScanner